उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादून:: दिनांक:: 11 अक्टूबर, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 सपठित केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 123 के उपनियम (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, "उत्तराखण्ड राज्य छानबीन समिति", जिसका कार्यालय देहरादून मे होगा, को निम्नवत् गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) श्री पीयूष कुमार, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान), राज्य कर, मुख्यालय, देहरादून।

(ख) श्री पी0के0 गोयल, आयुक्त, जी0एस0टी0, देहरादून।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव

सं0 796/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉं इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉं वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

विधि
अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

6433
12/10/2017

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 796/2017/ 9(120)/ XXVII(8)/ 2017 dated 11 October, 2017 for general information

Government of Uttarakhand

Finance Section-8

No. 796/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated:: 11 October, 2017

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Rule 123 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Rule, 2017 read with Sub-Rule (2) of Rule 123 of the Central Goods and Services Tax Rule, 2017, the Governor is pleased to allow to constitute, as below, the "Uttarakhand State Screening Committee", with its office at Dehradun:

(a) Shri Piyush Kumar, Additional Commissioner (special pay scale), State Tax, Headquarter Dehradun.

(b) Shri P.K. Goel, Commissioner, GST, Dehradun.

(Radha Raturi)
Principal Secretary